



मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा

संदर्भ: हाल ही में 10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। द्वितीय विश्व युद्ध के भयावह परिणामों के बीच आकार लेने वाला यह ऐतिहासिक दस्तावेज मानव गरिमा और समानता के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है।

प्रभाव और प्रारूपण प्रक्रिया:

- UDHR कोड नेपोलियन संहिता से प्रेरित था, जिसमें एक प्रस्तावना और सामान्य सिद्धांतों के साथ एक संरचना को अपनाया गया था।
- अंतिम संरचना दूसरे मसौदे के माध्यम से सामने आई, जिसे फ्रांसीसी न्यायविद रेने कैसिन द्वारा आकार दिया गया था, जिन्होंने कनाडाई कानूनी विद्वान जॉन पीटर हम्फ्री द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक मसौदे को परिष्कृत किया था।

घोषणा की संरचना:

- **प्रस्तावना:** तात्कालिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक एवं सामाजिक कारणों ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
- **अनुच्छेद 1-2:** गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की मूलभूत अवधारणाओं को स्थापित करता है।
- **अनुच्छेद 3-5:** जीवन का अधिकार जैसे अतिरिक्त व्यक्तिगत अधिकार स्थापित करता है और दासता एवं यातना को प्रतिबंधित करता है।
- **अनुच्छेद 6-11:** मानव अधिकारों की मौलिक वैधता को संदर्भित करता है, उल्लंघन होने पर उनकी रक्षा के लिए विशिष्ट उपाय प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 12-17:** समुदाय के प्रति व्यक्ति के अधिकारों को रेखांकित करता है, जिसमें आवागमन की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार और राष्ट्रीयता का अधिकार शामिल है।
- **अनुच्छेद 18-21:** "संवैधानिक स्वतंत्रता" तथा आध्यात्मिक, सार्वजनिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं को स्वीकार करता है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता शामिल है।
- **अनुच्छेद 22-27:** स्वास्थ्य सेवा और पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार सहित व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को स्वीकार करता है।
- **अनुच्छेद 28-30:** इन अधिकारों का प्रयोग करने के सामान्य तरीके स्थापित करता है तथा उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित करता है जहां व्यक्तिगत अधिकार लागू नहीं किए जा सकते हैं। समाज के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य को रेखांकित करता है और संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के विपरीत अधिकारों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।

उपलब्धियां और समावेशन:

- कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होने के बावजूद, UDHR के सिद्धांतों ने विश्व स्तर पर कानूनों को प्रभावित किया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की नींव के रूप में कार्य किया है।
- इसने वैश्विक स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर 70 से अधिक मानवाधिकार संधियों को प्रेरित किया है। उपनिवेशवाद, रंगभेद और लैंगिक एवं LGBTQ+ अधिकारों के लिए आंदोलनों में योगदान दिया है।

मानव अधिकार:

- मानव अधिकार जन्म से लेकर मृत्यु तक विश्व स्तर पर हर व्यक्ति के लिए अंतर्निहित अधिकार हैं।
- ये सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, चाहे उनका मूल, विश्वास या जीवन शैली का चुनाव कोई भी हो। मानव अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। हालांकि कानूनी उल्लंघनों या राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों जैसे मामलों में कुछ सीमाएँ लगाई जा सकती हैं।
- ये अधिकार गरिमा, निष्पक्षता, समानता, सम्मान और स्वतंत्रता जैसे साझा मूल्यों में निहित हैं तथा उन्हें कानूनी रूप से परिभाषित और संरक्षित किया गया है।

वर्तमान चुनौतियां और आलोचनाएं:

- UDHR की 75वीं वर्षगांठ एक ऐसे समय में आयोजित हुई है जब दुनिया भर में मानवाधिकार गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इजरायल-हमास युद्ध, रूस-यूक्रेन युद्ध और म्यांमार एवं सूडान में आंतरिक संघर्ष निर्दोष लोगों के जीवन को तबाह कर रहे हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।
- UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस घोषणा के दुरुपयोग को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए इस महत्वपूर्ण दस्तावेज का दुरुपयोग कर रही हैं और इसके सिद्धांतों की अनदेखी कर रही हैं।

वैश्विक नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा

संदर्भ: 2 दिसंबर को जलवायु शिखर सम्मेलन के COP-28 के दौरान, 2030 तक वैश्विक हरित ऊर्जा क्षमता को 11,000 GW तक तीन गुना करने की प्रतिज्ञा पर 118 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

- प्रतिज्ञा के लिए इन देशों को 2030 तक प्रत्येक वर्ष 2-4% से अधिक ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को दोगुना करने की आवश्यकता है।
- इसका उद्देश्य उत्सर्जन में वृद्धि पर अंकुश लगाना और 2015 के पेरिस समझौते में उल्लिखित वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है।



Face to Face Centres





प्रतिज्ञा विवरण:

- प्रतिज्ञा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और आधिकारिक तौर पर COP-28 के कैलेंडर का भी हिस्सा नहीं है।
- COP-28 में नवीकरणीय ऊर्जा को तीन गुना करने के मुद्दे को भी संबोधित किया गया है।
- यह प्रतिज्ञा वैश्विक उत्सर्जन को सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए वैश्विक नेताओं के बीच एक सामूहिक प्रतिबद्धता का संकेत देती है।

नवीकरणीय ऊर्जा विकास:

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) का अनुमान है कि 2022 से 2027 के बीच, नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक बिजली क्षमता विस्तार में 90% से अधिक का योगदान देगी।
- सौर, पवन, पनबिजली और जैव ईंधन को भविष्य के ईंधन के रूप में पहचाना जाता है, जिसका लक्ष्य 2050 तक ऊर्जा स्रोतों के रूप में जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करना है।
- IEA के अनुसार, पिछले पांच वर्षों की तुलना में 85% की वृद्धि के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य:

- भारत ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक के रूप में महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। जिनके द्वारा 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से अपनी 50% बिजली की मांग को पूरा करना है।
- देश का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन भी प्राप्त करना है।

नवीकरणीय परिनियोजन में चुनौतियाँ:

- वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा का परिनियोजन बढ़ती लागत, श्रम बाधाओं और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- इन चुनौतियों के कारण परियोजना में देरी होती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख डेवलपर्स को व्यापक वित्तीय नुकसान होता है।

प्रतिज्ञा पर भारत की स्थिति:

- यूरोपीय संघ, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने ब्राजील, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, चिली और बारबाडोस जैसे देशों के समर्थन से प्रतिज्ञा का नेतृत्व किया।
- भारत और चीन कोयले को चरणबद्ध तरीके से कम करने और कोयले से चलने वाले नए बिजली संयंत्रों में निवेश बंद करने के आह्वान के बारे में चिंताओं के कारण इस पहल में शामिल नहीं हुए।
- हालांकि, सितंबर 2023 में जी20 सम्मेलन के दौरान 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने की दिशा में काम करने के लिए भारत ने प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

AI पर यूरोपीय संघ का कानून


संदर्भ: 37 घंटे की बातचीत के बाद, यूरोपीय संघ के अधिकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI) को विनियमित करने के लिए दुनिया भर में पहले व्यापक कानूनों पर अस्थायी रूप से सहमत हुए हैं।

यूरोपीय संघ का AI विधान:

- कानून AI के उपयोग के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित करता है तथा उपभोक्ताओं को उल्लंघनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए सशक्त बनाता है।
- इसमें चेहरे की पहचान और मानव व्यवहार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के हेरफेर पर प्रतिबंध शामिल हैं।
- नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है तथा वास्तविक समय में बायोमेट्रिक निगरानी केवल गंभीर खतरों तक सीमित है।

AI अनुप्रयोगों में जोखिम

- AI अनुप्रयोगों को चार जोखिम वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें चेहरे की पहचान सहित कुछ अनुप्रयोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- उच्च जोखिम वाले अनुप्रयोगों, जैसे कि सेल्फ-ड्राइविंग कारों के लिए प्रमाणन और पारदर्शिता आवश्यकताओं के अधीन AI उपकरणों की अनुमति है।
- मध्यम जोखिम वाले अनुप्रयोगों, जैसे जनरेटिव AI चैटबॉट को विस्तृत प्रलेखन और AI के साथ संचालित करने की उपयोगकर्ता की समझ के साथ उपयोग किया जा सकता है।



Face to Face Centres





विनियमन पर यूरोपीय संघ का नेतृत्व:

- यूरोप ने ऑनलाइन गोपनीयता पर कानूनों, तकनीकी प्रभुत्व पर अंकुश लगाने और हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से सुरक्षा के साथ तकनीकी विनियमन में अग्रणी भूमिका निभाई है।
- अमेरिका ने एक कार्यकारी आदेश और एक प्रस्तावित AI बिल ऑफ राइट्स के साथ AI विनियमन में नेतृत्व करने का प्रयास किया है।
- यूरोपीय संघ का जीडीपीआर विश्व स्तर पर एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। डिजिटल सेवा अधिनियम और डिजिटल बाजार अधिनियम जैसे अतिरिक्त कानून व्यक्तिगत अधिकारों और गैर-प्रतिस्पर्धी प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

AI विनियमन के लिए वैश्विक दृष्टिकोण:

- वैश्विक स्तर पर नीति निर्माता गोपनीयता, प्रणाली पूर्वाग्रह और बौद्धिक संपदा संबंधी चिंताओं के लिए उत्पादक AI उपकरणों की जांच कर रहे हैं।
- यूरोपीय संघ एक सख्त एवं मामला विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाता है, ब्रिटेन नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक 'लाइट-टच' रणनीति अपनाता है।
- चीन ने AI को विनियमित करने के लिए अपने स्वयं के उपाय अपनाए हैं।

भारत का AI दृष्टिकोण:

- भारत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) के माध्यम से शासन समाधानों में प्रौद्योगिकी के सफल उपयोग पर जोर देता है।
- भारत का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शासन और भाषा अनुवाद में वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संप्रभु AI दृष्टिकोण अपनाना है।
- भारत वैश्विक और घरेलू प्रभावों को संतुलित करने के लिए आर्थिक विकास के लिए अपने AI पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने का लक्ष्य रखता है।

भारत-दक्षिण कोरिया संबंध

संदर्भ: 1973 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की औपचारिक स्थापना के बाद भारत दक्षिण कोरिया के साथ राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है।

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच ऐतिहासिक संबंध:

- भारत से बौद्ध धर्म तीसरी शताब्दी के दौरान कोरियाई प्रायद्वीप तक पहुंचा।
- भारत ने 1945 में कोरिया की स्वतंत्रता के बाद कोरियाई मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भारत के श्री के. पी. एस. मेनन ने 1947 में कोरिया में चुनावों के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता की।
- कोरियाई युद्ध (1950-53) के दौरान भारत ने 1953 में युद्धविराम के लिए एक प्रस्ताव को प्रायोजित किया था।
- भारत के जनरल के.एस. थिमय्या ने युद्धविराम के बाद तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता की।

द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना:

- 1962 में स्थापित द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों को 1973 में राजदूत स्तर का दर्जा दिया गया।
- व्यापार संवर्धन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और दोहरे कराधान से बचने सहित विभिन्न व्यापार समझौते किए गए।

प्रमुख समझौते और विकास:

- राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की 2006 की राजकीय यात्रा के फलस्वरूप एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के लिए एक संयुक्त कार्य बल का गठन हुआ।
- 2010 में राष्ट्रपति ली की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया।
- 2011 में असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए और 2012 में परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन एवं वीजा सरलीकरण के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- 2018 में दोनों देशों के बीच संबंध का एक विशेष-रणनीतिक साझेदारी में उन्नयन हुआ।

व्यापार और आर्थिक संबंध:

- 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य के साथ भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार 2022 में 27.8 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- भारत से प्रमुख निर्यातों में खनिज ईंधन, अनाज, लोहा और इस्पात शामिल हैं; जबकि कोरियाई निर्यातों में ऑटोमोबाइल पुर्जे, दूरसंचार उपकरण इत्यादि शामिल हैं।
- भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2016 में 'कोरिया प्लस' पहल शुरू की गई।
- सैमसंग, हुंडई मोटर्स और एलजी ने भारत में महत्वपूर्ण निवेश किया है।

हाल के घटनाक्रम और समझौते:

- वर्ष 2022 में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पांचवीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता सियोल में हुई।
- दोनों देशों का उद्देश्य व्यापार, निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, सुरक्षा, रक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ाना है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण पर सहयोग किया गया।


रणनीतिक संबंध:

- भारत और दक्षिण कोरिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार हैं।
- दक्षिण कोरिया की इंडो-पैसिफिक दृष्टि और नई दक्षिण नीति (NSP) भारत की एक्ट ईस्ट नीति (AEP) के साथ सरेखित हैं।
- दक्षिण कोरिया क्वाड (Quad) गठबंधन में भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है और कोविड-19, जलवायु परिवर्तन एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग पर जोर देता है।
- क्वाड के कार्य समूहों में दक्षिण कोरिया का शामिल होना दोनों देशों के हित में है।
- हिन्द-प्रशांत आर्थिक ढांचा और हिन्द महासागर रिम संगठन (IORA) में दक्षिण कोरिया की भूमिका आर्थिक सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग में योगदान करती है।





NEWS IN BETWEEN THE LINES

<p>इकराम खान का मकबरा</p> 	<p>हाल ही में, यह पाया गया है कि ग्रेटर नोएडा के कसना पार्क में स्थित इकराम खान के मकबरे के संरक्षण की आवश्यकता है।</p> <p>इकराम खान का मकबरा:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ इकराम खान उन अधिकारियों में से एक थे जिन्हें शाहजहां द्वारा दिल्ली (लाल किला) में किले के निर्माण का काम सौंपा गया था। ➤ पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) के 1969 के दस्तावेजों के अनुसार, इकराम खान का मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, जो अभी भी अच्छी स्थिति में मौजूद है। ➤ यह शाहजहां के शासनकाल के दौरान दिल्ली के लाल किले के निर्माण से जुड़ा हुआ है। ➤ यह प्रतिष्ठित लाल किले में इस्तेमाल की गई सामग्री के समान लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो मुगल युग की स्थापत्य शैली को दर्शाता है। ➤ मकबरे के निकट, निहालदे सती मंदिर ऐतिहासिक रूप से निहालदे और नरसुल्तान की कहानी से जुड़ा हुआ है।
<p>पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क</p> 	<p>हाल ही में दो साइबेरियन बाघों में से एक को साइप्रस के पाफोस (Pafos) चिड़ियाघर से पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में लाया गया है।</p> <p>पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क (PNHZZP) दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ➤ इसका नाम सरोजिनी नायडू की बेटी और पश्चिम बंगाल की पूर्व राज्यपाल पद्मजा नायडू के नाम पर रखा गया था। ➤ इसे 14 अगस्त, 1958 को दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में भारत सरकार (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) और पश्चिम बंगाल सरकार (शिक्षा विभाग) के सहयोग से स्थापित किया गया था। ➤ यह भारत का सबसे बड़ा ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है, जिसकी औसत ऊंचाई 7,000 फीट है। ➤ यहाँ वर्ष 1983 में इस दुर्लभ प्रजाति की कैप्टिव प्रजनन परियोजना पर काम शुरू किया। ➤ यहाँ पर पहला स्व-स्थाने संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम 1986 में हिम तेंदुए संरक्षण प्रजनन परियोजना के रूप में शुरू हुआ। ➤ यहाँ पर रेड पांडा परियोजना वर्ष 1990 में शुरू की गई थी। ➤ इस चिड़ियाघर को 2014 में इन-सीटू और एक्स-सीटू संरक्षण के प्रयासों के लिए "रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड अर्थ हीरो अवार्ड" से सम्मानित किया गया था।
<p>मानवाधिकार दिवस</p> 	<p>हाल ही में भारत मंडपम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार दिवस समारोह आयोजित किया गया।</p> <p>मानवाधिकार दिवस के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ➤ यह उस दिन की याद दिलाता है जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा (UDHR) को अपनाया था। ➤ मानवाधिकार दिवस 2023 का विषय "सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय" ("Freedom, Equality and Justice for All") है। ➤ यह 2023 में UDHR की 75वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता है। ➤ इस दिवस को औपचारिक रूप से 1950 में स्थापित किया गया था जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 423(V) को अपनाया था।
<p>इलेक्ट्रिक ईल</p> 	<p>हाल ही में, जापान के नागोया विश्वविद्यालय के एक शोध समूह ने पाया कि इलेक्ट्रिक ईल, छोटे मछली के लार्वा को आनुवंशिक रूप से संशोधित करने के लिए पर्याप्त बिजली उत्पन्न कर सकती है।</p> <p>इलेक्ट्रिक ईल के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ इलेक्ट्रिक ईल (Electrophorus electricus) एक मीठे पानी की मछली है जो 860 वोल्ट तक के बिजली के झटके उत्पन्न कर सकती है। ➤ यह दक्षिण अमेरिका के अमेज़न और ओरिनोको घाटियों में पायी जाती है। ➤ यह एक वायु-श्वासक मछली है। ➤ ईल मार्गनिर्देशन करने, साथी खोजने और शिकार खोजने के लिए एक कमजोर विद्युत संकेत उत्सर्जित करती है। ➤ यह दक्षिण अमेरिकी नाइफिश के त्रिगुट का हिस्सा है। ➤ इसका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है। ➤ इसका भार छह पाउंड तक हो सकता है। ➤ IUCN के अनुसार, इसे "संकट मुक्त" ("Least Concern") के रूप में वर्गीकृत किया गया है।





11 December, 2023

<p>पिन्ना नोबिलिस</p> 	<p>हाल ही में समुद्री जीवविज्ञानियों ने क्रोएशिया के जल में लुप्तप्राय कुलीन पिन्ना नोबिलिस क्लैम पाया है, जो इसके लगभग विलुप्त होने के बाद वापसी का संकेत देता है।</p> <p>पिन्ना नोबिलिस (Pinna nobilis) के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ पिन्ना नोबिलिस एक बड़ा समुद्री बाइवाल्व मोलस्क है जो भूमध्य सागर का स्थानिक है। ➤ पुला के एड्रियाटिक एक्वेरियम में उन्हें फ़िल्टर किए गए पानी में उन परजीवियों से दूर रखा जाता है जो उन पर हमला कर सकते हैं। ➤ इसे नोबल पेन शेल या फैन मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। ➤ इस प्रजाति की खोल 1.2 मीटर तक लंबी हो सकती है। ➤ यह समुद्री घास के मैदानों और रेतीले या चट्टानी क्षेत्रों में 60 मीटर तक की गहराई पर रहता है। ➤ यह प्रजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निलंबित मलबे से बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों को फ़िल्टर करके बनाए रखती है, जो पानी को साफ रखने में मदद करती है। ➤ इसे 1992 से एक लुप्तप्राय और संरक्षित प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। ➤ यह मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे में है और भूमध्य सागर के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के कगार पर है।
<p>समाचारों में स्थान</p> <p>ईरान</p>	<p>हाल ही में, ईरान ने अपने शस्त्रागार में हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस लड़ाकू ड्रोनों को शामिल करके अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है।</p> <p>ईरान (राजधानी: तेहरान)</p> <p>अवस्थिति : ईरान, जिसे फारस और आधिकारिक तौर पर इस्लामिक गणराज्य ईरान के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण-पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है।</p> <p>भौगोलिक सीमाएँ: ईरान अपनी सीमाएँ आर्मेनिया, अजरबैजान और कैस्पियन सागर (उत्तर), तुर्कमेनिस्तान (उत्तर पश्चिम), तुर्किये और इराक (पश्चिम), फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी (दक्षिण) तथा अफगानिस्तान और पाकिस्तान (पूर्व) के साथ साझा करता है।</p> <p>भौतिक विशेषताएँ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ माउंट दमावंद (Mount Damavand), ईरान के एल्बुर्ज (Elburz Mountains) पर्वत की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी है। ➤ करुण नदी (Karun River) ईरान की सबसे लंबी और सबसे अधिक जल वाली नदी है। ➤ ईरान में स्थित झील उर्मिया मध्य पूर्व की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 

POINTS TO PONDER

- ❖ पूरे ब्रह्माण्ड में सबसे बड़ा तारा कौन सा है? - **यूवाई स्कूटी (UY Scuti)**
- ❖ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (एबीपी) की प्रारंभिक डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला तिरियानी ब्लॉक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? - **तेलंगाना**
- ❖ हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (Aerial Delivery Research and Development Establishment -ADRDE) किस संस्थान से संबद्ध एक रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है? - **डीआरडीओ**
- ❖ भारत ने किस देश के कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण का समर्थन करने के लिए \$250 मिलियन की ऋण सुविधा की घोषणा की है? - **केन्या**
- ❖ IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल, विशेष रूप से किसके लिए लॉन्च किया गया था? - **सरकारी अधिकारी**

Face to Face Centres

